प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 01.09.2024

डॉक्टर की डिग्री का अवैध व कूटरचित प्रयोग कर अवैध क्लिनिक/डायग्नोस्टिक सेण्टर संचालित करने के आरोप में 03 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 414/2024 धारा 420 भादवि बढ़ोत्तरी धारा 419, ,467,468,471,120बी भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. बृजेश लाल, 2.ओमप्रकाश गौतम व 3.दीपक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 17.05.2024 थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि उनके नाम की **डिग्री की कूटरचना कर अवैध प्रयोग करते हुए अवैध डायग्नोस्टिक सेण्टर व अल्ट्रासाउण्ड सेण्टर खोला गया है** जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना से वादी मुकदमा की **डिग्री का अवैध प्रयोग कर जखनियां, जनपद गाजीपुर में अवैध डायग्नोस्टिक सेण्टर का संचालित होना पाया गया** , जिसके **संचालक बृजेश लाल** को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त बृजेश उपरोक्त द्वारा बताया गया कि अभियुक्त को उक्त **डॉक्टर की डिग्री 50 हजार रूपयो में ओमप्रकाश गौतम द्वारा** दिया गया था। उक्त पैसे को ओमप्रकाश गौतम द्वारा अपने क्लिनिक के मकान मालिक के लड़के के खाते में लिया गया था। जब अभियुक्त बृजेश को पता चला कि उक्त डॉक्टर ने अपनी डिग्री का अवैध कूटरचित प्रयोग करने के संबंध में थाना गुलरिहा पर मुकदमा पंजीकृत कराया है तब ओमप्रकाश गौतम द्वारा पुनः एक अन्य डॉक्टर के नाम की डिग्री 50 हजार रूपये में अभियुक्त बृजेश लाल उपरोक्त को दिया गया। उक्त रूपयों का भुगतान अभियुक्त बृजेशलाल द्वारा ओमप्रकाश गौतम के क्लिनिक में काम करने वाली महिला कर्मचारी के खाते में किया गया था। अभियुक्त **ओमप्रकाश गौतम द्वारा पटना से अवैध डेन्टिस्ट का डिप्लोमा बनवाकर जनपद वाराणसी के जाल्हूपुर में आदर्श डेन्टल एण्ड आई क्लिनिक चलाया जा रहा है।** पूछताछ में उसने बताया गया कि उसे यह डिग्री जनपद वाराणसी के चौबेपुर में सहारा अस्पताल के संचालक दीपक विश्वकर्मा द्वारा 35 हजार रूपये में दी गयी थी। अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा से पूछताछ की गयी तो यह बात प्रकाश मे आयी कि अभियुक्तगण द्वारा क्लिनिक खोलने के लिए होने वाले आनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी डाक्टर की डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जबसे क्लिनिक/डायग्नॉस्टिक सेण्टर खोलने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गयी है तब से इनके द्वारा इसी प्रकार का कार्य किया जा रहा है। अभियुक्त दीपक उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसे डॉक्टरों की डिग्री उसके अस्पताल में काम करने वाले सुहैल द्वारा दी जाती थी। सुहैल की पतारसी सुरागरसी की जा रही है। अन्य डॉक्टरों की डिग्री के अवैध प्रयोग के संबंध में जाँच की जा रही है। अभियुक्त दीपक विश्वकर्मा ने अन्य लोगों को भी कूटरचित डिग्री बेची है जिसके संबंध में जाँच की जा रही है।

जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्तों के मोबाइल फोन में अन्य डॉक्टरों की डिग्री का प्रयोग, बातचीत की रिकार्डिंग व एक दूसरे के खाते में पैसे भेजने के प्रमाण भी मिले है। वर्तमान में जनपद वाराणसी में संचालित **"जीवन ज्योति क्लिनिक"** का रजिस्ट्रेशन भी इसी प्रकार कराया गया है जिसके संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है । साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 419,467,468,471,120बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. बृजेश लाल पुत्र स्व0 छविनाथ लाल निवासी पदुमपुर मैगर राय थाना भुडकुड़ा जनपद गाजीपुर
2. ओमप्रकाश गौतम पुत्र स्व0 नन्दलाल ग्राम दीनापुर चिरईगांव थाना सारनाथ जनपद वाराणसी
3. दीपक विश्वकर्मा पुत्र अनिरुद्ध प्रसाद विश्वकर्मा निवासी बराई थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 414/2024 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशि भूषण राय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अवनीश कुमार पाण्डेय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
3. उ0नि0 अजय मौर्या थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. का0 कार्तिक पाण्डेय थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
5. का0 पंकज शर्मा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

नोट- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को 15 हजार रूपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।